राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/48837 जयपुर,दिनांक: 9.12.20

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्र–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/38119 दिनांक 17.12.19 द्वारा आयुक्त नगर निगम जयपुर की अभिशंषा पर राज्य सरकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) उपविधि–2012 के क्लॉज 16 (घ) में लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में दिनांक 31.03.2020 तक निम्नानुसार शिथिलता/छूट प्रदान की गई थीः–

"वर्ष 2019–20 तक का समस्त पूर्ण बकाया, एकमुश्त विवाह स्थल पंजीयन शुल्क की राशि दिनांक 31.03.2020 तक जमा कराने पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं 100 रूपये प्रतिदिन का विलम्ब शुल्क एवं ब्याज में शत्–प्रतिशत छूट देय होगी। इस अवधि के पश्चात् से समस्त शुल्क, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क नगर निगम जयपुर विवाह स्थल का पंजीयन संशोधन उपविधि–2012 के अनुरूप देय होगी।"

उक्त प्रदत्त छूट की अवधि एतद् द्वारा आगामी दिनांक 31.12.2020 तक बढाई जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/48838-48847 दिनांक: 9.12.20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राज.सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
5. प्राधिकारी, नगर निगम जयपुर–हैरिटेज, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर–हैरिटेज, नगर निगम जयपुर–ग्रेटर।
7. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि राज. राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कराया जावें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी